cases, we shall have enquiries made and if they are found true, we will have no difficulty in admitting it. It is not for me to say that they have taken place or not. If enquiries reveal that they have not taken place, I cannot agree with the hon. member. But if he gives specific cases, we shall definitely have enquiries made.

About the vigilance cases, wherever the Vigilance Commissioner has framed charges and recommended departmental proceedings, proceedings have been started. But wherever he has not been able to formulate charges, proceedings have not taken place. But as soon as the charges are formulated, proceedings will be initiated. I can assure the House that nobody who is suspected to be currupt will be spared under the President's rule.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I made a specific request for the names of those officers against whom the Vigilance Commissioner has made charges of indulging in corrupt practices. Will he give these names?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This information has already been given during the Question Hour in the Rajya Sabha. If the hon. member takes the trouble of tabling a question, full information will be given. We do not want to hide anything. We need not give names of those persons whose cases are being investigated. But wherever investigations have been completed and proceedings have been started, those names can be given.

Shri Tridib Kumar Chowdhury referred to the meeting of the consultative committee. We want to hold a meeting as soon as possible. I think within one or two weeks of the end of the session of Parliament, we shall be able to hold a meeting. In these meetings, we consult many things, apart from legislative business. All hon. members who are members of the committee are most welcome to bring forward any matter they like before the committee.

Having said this, Sir, I would commend this Resolution to the acceptance of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall put all the amendments together.

Amendments Nos. 1 and 5 were put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 20th February, 1968, in respect of West Bengal issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 22nd September, 1968."

The motion was adopted.

16.56 HRS.

BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सम्बन्ध में पहले ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इस लिये इस के ऊपर ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल दो-तीन खास बातें जो सलाहकार समिति बनती है, उस के बारे में कहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, सलाहकार समिति तो बन जाती है केवल राष्ट्रपति जी को इस तरह की सलाह देने के लिए कि किस तरह के कानून समय समय पर बिहार राज्य के लिये बनाये जायें, उस समय के लिये जब तक कि बिहार में राष्ट्रपति जी का शासन लागू है, पर हम लोगों ने एक

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की है ऐसी सलाहकार समितियों में और भी तरह तरह के दूसरे मामले, जिनके बारे में माननीय सदस्य अपनी राय देना चाहें, उन के बारे में भी बहस होती है तथा उस बहस के दौरान बड़ी विस्तृत चर्चा होती है और हम लोग अनौपचारिक ढंग से इस के बारे में जो कुछ भी सूचना या जो कुछ भी तथ्य माननीय सदस्य चाहते हैं, उन को हम देते हैं।

डा० सूर्यप्रकाश पुरी : दो सलाहकारों की समिति तो अभी भी वहां काम कर रही है, जब कि और राज्यों में नहीं है, सिर्फ बिहार में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी बिहार में कोई समिति काम नहीं कर रही है।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : दो सलाहकारों की समिति अभी भी वहां है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं संसदीय सलाहकार समिति की बात कर रहा हूं। शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है—वे सलाहकार हैं, समिति नहीं है, वे मंत्रियों के रूप में काम कर रहे हैं।

16.58 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मैं यह कह रहा था कि इस समिति के बनने के बाद इस सदन के और उस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का अधिकार होगा कि किसी भी तरह के शासकीय मामलों या कानूनी मामलों के मसले वहां पर उठायें तथा उस के बारे में विचार-विमर्श हो। जैसा कि मैंने पहले कहा—हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि बहुत दिनों तक बिहार में राष्ट्रपति जी का शासन चले। मुख्य चुनाव आयुक्त को हम ने पहले ही एक पत्र लिखा है और उन से निवेदन किया है कि वह जल्द से जल्द बिहार में चुनाव करानें की तैयारी करें तथा तारीख निश्चित करें। मैं समझता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय करीब-करीब वही प्रक्रिया बिहार के बारे में भी चलायेंगे, जो उन्होंने दूसरे राज्यों के बारे में की है। बिहार के जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, उन से विचार-विमर्श कर के, मैं उम्मीद करता हूं, जल्दी ही वे कोई ऐसी तारीख निश्चित करेंगे जब कि बिहार में चुनाव हो सकेंगे।

बिहार में किस तरह से राष्ट्रपति जी का शासन आया और क्या कारण थे, क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, इस के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। इस लिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल यही कहूंगा कि जो समिति बन रही है, इस में सब पार्टी के लोग होंगे, इस का काम ऐसा नहीं है कि कोई विवाद हो। यह निर्विवाद चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करेंगे।

MR. SPEAKER : Motion moved.

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का शासन बिहार प्रदेश में लागू होते ही आज तक वहां की व्यवस्था कैसी रही—मैं मात्र एक-दो उदाहरण देकर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह निवेदन करूंगा कि वे अपने उत्तर में इस के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उस व्यवस्था के सम्बन्ध में कहें। गया में मिलिट्री कन्टोनमेन्ट है, उसमें रहने वाले एक अधिकारी की पत्नी सिनेमा देखकर वापिस

आ रही थी रिक्शे पर तो तीन चार आदमियों ने उस महिला को जबर्दस्ती एक गाड़ी में बिठा लिया और रात भर कहीं ले जाकर उसे रखा। दूसरे दिन जब इसकी जांच-पड़ताल हुई तो पता चला कि उन आदमियों में एक पुलिस अधिकारी भी था। इसी प्रकार से पटना महिला कालेज की एक छात्रा जब कालेज से घर को वापिस जा रही थी, उस छात्रा को किसी अनजान व्यक्ति ने गाड़ी पर जबर्दस्ती बिठा लिया और लेकर भाग गया। एक अन्य घटना पेट्रौल पम्प पर गया में ही हुई। वहां पर चावल से लदा हुआ एक ट्रक कहीं बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। कोई तीन-चार व्यक्ति आए और उन्होंने जबर्दस्ती उस ट्रक के तमाम चावल के बोरों को उतार कर दूसरी ट्रक पर रख लिया और लेकर चले गए। उनकी सहायता के लिए वहां पर कोई भी पुलिस उपस्थित नहीं हुई। यह है इनकी व्यवस्था का हाल जिसके सम्बन्ध में हमारे राज्य मंत्री जी ने यहां पर बड़े ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि हमने वहां पर बड़ी ही अच्छी व्यवस्था कायम की है और अभीतक कोई शिकायत नहीं मिली है। पहले भी इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप बिहार की बात कर रहे हैं या बंगाल की मैंने तो ऐसी बात नहीं कही कि कोई शिकायत नहीं मिली।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : बंगाल और बिहार दोनों बहुत ही करीब हैं, आप चाहें अलग रहें।

अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की शैक्षणिक संस्थाओं की दयनीय अवस्था के सम्बन्ध में भी जो बिहार के हैं कुछ कहना चाहता हूं। संयोगवश यहां पर शिक्षा विभाग के राज्य मन्त्री भी उपस्थित हैं। वे जानते हैं कि हमारे यहां के जो लोवर और अपर मिडिल स्कूल्स हैं उनकी कैसी अवस्था है। हर तीन स्कूलों में आपको दो स्कूल ऐसे मिलेंगे जिन में न तो छप्पर है और न छावनी। लड़के बाहर धूप में, वर्षा में बैठकर पढ़ते हैं। मैं मानता हूं कि यह बात कांग्रेस सरकार के जमाने में भी थी और बीच में जो वहां पर मिली जुली सरकार आई उसने भी दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर उन विद्यालयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब वहां पर राष्ट्रपति शासन आया तो हमें उम्मीद बंधी थी कि उन छात्रों के प्रति, जिनकी अवस्था अभी 5, 6 और 8 साल की ही है और जिनको दिन भर धूप में बैठकर पढ़ना पड़ता है, शासन का ध्यान अवश्य जायेगा। हम तो अभी भी आशा करते हैं कि जबतक वहां पर चुनाव नहीं हो जाता है, नई सरकार नहीं बन जाती है, मौजूदा शासन में उन विद्यालयों की अवस्था को सुधारा जायेगा, कम से कम ऊपर छत की व्यवस्था कर दी जायेगी। भवन बना दिये जायेंगे।

यही नहीं, हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की जितनी संख्या है, उस का अगर ध्यान रखा जाये तो आप देखेंगे कि प्रायः हजारों शिक्षकों के आवेदन पत्र गया एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज में पड़े हुए हैं और उनको नौकरी इसलिए नही मिल सकी कि प्लानिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। और प्लानिंग कमेटी की बैठक इसलिए नहीं हो सकी कि विभिन्न राजनीतिक दलों में समझौता नहीं हो सका कि किस दल के कितने प्रतिनिधि उसमें जायं। नतीजा यह हुआ कि आज तक उसकी कोई बैठक नहीं हो पा रही है। अब राष्ट्रपति शासन में जनता यह आशा करती है कि जल्दी से जल्दी किसी न किसी प्रकार किसी न किसी विद्यालय में

[डा० सूर्य प्रकाश पुरी]

उनको काम करने का अवसर प्राप्त होगा जिनमें कि आज भी शिक्षकों की कमी है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी की सरकार आये लेकिन हमारे यहां एक ऐसी चर्चा चल रही थी कि मिथिला में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। साथ ही साथ वहां पर हमने भागलपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने की भी चर्चा की थी। मैं राज्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दो विषयों पर राष्ट्रपति शासन काल में कितनी प्रगति हुई है और बिहार की जनता इस सम्बन्ध में आपसे कितनी आशा रखे?

हमारे यहां पर भदई फसल बर्बाद हो गई है। सरकार का ऋण हम जरूर देंगे लेकिन परसों के अखबार में यह समाचार पढ़ने को मिला है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल और कमिशनरी के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की गई है और राज्यपाल के सलाहकारों ने यह निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से भी संभव हो सके, ऋण की जल्द से जल्द वसूली की जाए। मैं आपके माध्यम से, वहां पर जो सरकार चल रही है, उससे निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण की वसूली अभी कुछ दिनों के लिए न की जाए जब तक कि धान की फसल कट नहीं जाती है। जबतक के लिए वसूली स्थगित रखी जाए नहीं तो बेचारे मजदूर और किसान, जिन्होंने मेहनत करके किसी प्रकार इस फसल को बचाए रखा है, उनका दिल टूट जाएगा। खेती के प्रति जो उनकी लगन है उसको यदि आप बढ़ावा न दें तो कम से कम उनकी भावनाओं को चोट न पहुंचायें। ऋण लिया जाना जब भी हो तो सूद माफ कर दें।

अब मैं राज्य ट्रान्सपोर्ट की वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि जब वहां पर कांग्रेस सरकार थी तब वह व्यवस्था अच्छी थी। मैं यह भी नहीं कहता कि कांग्रेस से नाराज हूं और यह भी नहीं कहता कि बीच में वहां पर जो मिली-जुली सरकार बनी उसने भी उस व्यवस्था में कोई सुधार किया। लेकिन जो नामी गिरामी होकर हमारे यहां आये थे, हमने यह आशा की थी कि राज्यपाल महोदय को और वहां की सरकार को ऐसी सलाह देंगे कि राज्य परिवहन की व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राज्य ट्रान्सपोर्ट की सुविधायें प्राप्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग तो यह पसन्द करेंगे कि आप वहां पर चलकर उस व्यवस्था को देखें। आप पायेंगे कि कितनी सड़ी हुई, अजीब आवाज करती हुई वहां की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था है जिसका कभी कोई भरोसा नहीं रहता कि कब खंडहर में गिर जाए। ऐसी अवस्था वहां पर चल रही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि उस की ओर सरकार का ध्यान अवश्य जायेगा।

हमारे यहां गावों में बिजली ले जाने की जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में न तो पहले की सरकारें ही कुछ कर सकीं और न आज की सरकार ही कुछ कर पा रही है। जबतक हम गावों में बिजली नहीं पहुंचाते, जबतक किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं देते तबतक न तो कृषि का ही विकास हो सकता है और न बिहार राज्य की आर्थिक व्यवस्था ही सुधर सकती है और न वहां की जनता का जीवन ही सुधर सकता है।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष जी, लोगों ने इस राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है।.... (**व्यवधान**). ...

बजट सेशन के बाद जब हम घर गए थे, उसके पहले हर गांव में रात को सोना मुश्किल हो जाता था क्योंकि चोरी डकैती मची हुई थी, लेकिन जबसे राष्ट्रपति का शासन हुआ है तबसे वहां पर ला ऐन्ड आर्डर कायम हुआ है। बिहार में अब हर आदमी चैन के साथ सो सकता है। इसके लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।.. (**व्यवधान**)..

जब वहां पर संयुक्त सरकार थी, तब एक जिले में एक पार्टी के मन्त्री गए, फिर दूसरी पार्टी के गए, फिर तीसरी पार्टी के गए, नतीजा यह होता था कि जिले के अफसर उनके स्वागत में ही लगे रहते थे। काम-धाम कुछ नहीं होता था। यह जरूर मैं कहूंगा कि यह मंडल जी की सरकार जब थी तो इन बेचारों ने ला ऐंड आर्डर को पूरा मेंटेन किया जिसकी वजह से बिहार में कुछ शान्ति हुई।

अब एक बात मुझे कहनी है कि पटना में जब आप ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थे वे वहां गये थे और वहां की यातायात सम्बन्धी कठिनाई को बखूबी जानते हैं। बिहार दो हिस्सों में बंटा हुआ है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। वहां पर हम लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है और कभी-कभी हम लोग दिन दिन और रात-रात भर गंगा में स्टीमर में पड़े रह जाते हैं इसलिए वहां पर पुल बनाने की बहुत जरूरत है। हर एक जगह पर गंगा पर पुल बनाये गये हैं। पटना जोकि बिहार की राजधानी है वहां पर भी गंगा के ऊपर पुल बनाने की आप व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों ने वेतन और महगाई भत्ते की अपनी मांगों को लेकर वहां पर हड़ताल की थी जोकि खत्म हो गयी है। उस सम्बन्ध में जो सरकारी कर्मचारी जेल में बंद हैं उन को अब छोड़ दिया जाय। जो लोग टेम्पोरैरी सर्विस में थे उन को काम पर रख लिया जाय और जो उन को सजा दी जा रही है उस सजा से उन को बरी किया जाय। क्योंकि वह गरीब और भूखे आदमी हैं और अगर पेट भरने की खातिर वह कुछ कार्यवाही करने पर विवश होते हैं तो ऐसे आदमियों के साथ सहानुभूति दिखलानी चाहिए। उन के पेट को भरना चाहिए। उन के ऊपर आज जुल्म नहीं होना चाहिए।

किसानों से ऋण वसूली का जहां तक सवाल है यह ठीक है कि अगर उन लोगों से ऋण को वसूल न किया जायगा तो सरकार कैसे चलेगी? 16 करोड़ का अंदाजा लगाया गया कि इतनी आमदनी होगी लेकिन 12 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। उस में सुना है कि 8 करोड़ खर्चे में ही लग जाता है तो यह कहां से सरकार चलेगी? इसलिए यह ऋण वसूली जरूर हो। जब समय आ जाय, किसानों के पास पैसा हो जाय तो समय से सरकार अपना ऋण वसूल करे लेकिन जितना वह बकाये का दे सकें उतना उन से वसूल किया जाय।

पहले हर जिले में विकास कार्य के लिए कमेटी हुआ करती थी। अब वह कमेटी बंद हो गयी है। गृह मंत्री महोदय को चाहिए कि हर जिले में विकास कार्य के लिए कोई कमेटी वगैरह बना दें ताकि जब तक यह राष्ट्रपति शासन कायम है जिले-जिले में विकास कार्य करने के लिए अपनी कार्यवाही करती रहें।

तीसरी बात यह है कि शिक्षा संस्थाओं में जो पहले पढ़ाई वगैरह की गड़बड़ हो जाया करती थी, छात्र लोग हड़ताल

[श्री विभूति मिश्र]

किया करते थे और तमाम कार्यवाही किया करते थे उस के लिए सरकार को हिदायत कर देनी चाहिए कि शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई का कार्य ठीक से चले और विद्यार्थियों को वहां ठीक से अनुशासन के साथ और हमदर्दी के साथ रखा जाय।

इस के अलावा छोटे-छोटे गांवों में मास्टर लोगों को तीन-तीन महीने हो गये हैं लेकिन उन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं तो इस बदइंतज़ामी की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी अध्यापकों को समय पर नियमित रूप से उन का वेतन आदि मिल जाया करे।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा जो बिहार राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की जा रही है उस का वास्तव में यह अर्थ है कि यह अधिकार हम उसी कांग्रेसी सरकार को फिर दे दें जिसकी कि अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण बिहार राज्य आज कराह रहा है। बिहार के जिस भाग से मैं आता हूं वहां एक कहावत आम तौर पर प्रचलित है:

"सेर के बदले किलो और चावल के बदले मिलो।"

जब से यह सेर के बदले किलोग्राम किया गया है तब से लोगों को चावल के बदले मिलो मिलने लगा है। दरअसल कांग्रेसी सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति की आलोचना इस कहावत से बढ़कर और कोई दूसरे शब्दों द्वारा नहीं हो सकती है। जो काम उन्हें पहले करना चाहिए वह उन्होंने पीछे किया है और जो काम उन्हें पीछे करना चाहिए था वह उन्होंने पहले शुरू कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि आज समूचा देश भूखों मर रहा है।

बिहार में सिंचाई की बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए वहां बड़े-बड़े डैम बनाये गये लेकिन इन दो वर्षों के सूखे ने हमें बतला दिया कि वह डैम हमारे किसी काम के नहीं हैं। उन डैमों की नहरों में सूखे के दिनों पानी का नामोनिशान नहीं था। उन नहरों में मवेशी चरा करते थे। इसलिए अभी जो पहले हमारी युनाइटैड फ्रंट की सरकार थी उस ने छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनाओं की ओर ध्यान दिया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत राहत उस प्रदेश के लोगों को मिली है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सिंचाई की स्कीम हमारी संयुक्त मोर्चे के सरकार के समय में बनी थी वह उस को राष्ट्रपति की सरकार उसी रूप में चालू रक्खें। चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में केवल दो-तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

भागलपुर जिले में चांदन डैम बनाया जा रहा है जोकि इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायगा किन्तु उस से जो एक हाई लैविल कैनाल निकाले जाने की बात है उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारे भागलपुर के दक्षिणी भाग में कटोरिया थाना और संथाल परगने के देवघर का कुछ भाग ऐसा इलाका है जहां शाश्वत अकाल रहता है और हालत यह है कि जब समूचे देश में पानी बरसता है वहां कुछ भी पैदा नहीं होता क्योंकि जो वहां की प्रधान उपज मकई है उस को ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज्यादा पानी से वह गल जाती है। इसलिए इस बार भी वहां पर अकाल की स्थिति है। अब उस स्थान में न तो डैमों से बड़ी बड़ी नहरें जा

सकती हैं और न ही वहां ट्यूबवैल्स लग सकते हैं। पहाड़ी इलाक़ा होने से वहां केवल छोटे-छोटे बांध ही बन सकते हैं। वहां पर पहले की सरकार ने कुछ छोटे-छोटे डैम बनाने की बात की थी। एक वहां पर दरभासन योजना है जिससे कि कटोरिया थाने की प्राय: 20,000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकती है। उस में केवल पांच- सात लाख रुपये का खर्च आना है लेकिन यह योजना अभी खटाई में पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि उस योजना का काम अविलम्ब हाथ में लिया जाय।

इस के अलावा भरको थाने में एक कोझी योजना भी है अर्थात् कोझी नदी पर बांध बना कर एक रिजरवायर बनाने की बात है। उस का यद्यपि सर्वे भी हो चुका है लेकिन वह भी अभी खटाई में पड़ी हुई है। ऐसी छोटी-छोटी बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिहार में भैंसजोर डैम एक बहुत बड़ा डैम है उस से संथाल परगना को या बिहार को कोई भी लाभ नहीं होता है। संथाल परगना एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। संथाल वहां के आदिवासी हैं। सरकार की नीति के अनुसार ट्राइबल एरियाज़ का विकास किया जाना चाहिए लेकिन जैसा मैंने कहा इस भैंसजोर डैम से संथाल परगना को कोई लाभ नहीं हो रहा है। वहां एक दूसरी नदी है पुनाक्षी जिस पर अगर बांध बना दिया जाय समूचे संथाल परगना में बहुत कुछ तो सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। मैं चाहूंगा कि वहां पुनाक्षी नदी पर एक बांध बांधा जाय। उससे संथाल परगने के आदिवासियों को काफ़ी लाभ हो सकता है। पुनाक्षी डैम के सर्वे का काम काफ़ी पहले किया गया था लेकिन अब नहीं मालूम उस के बारे में क्या हो रहा है। मैं ने उस के बारे में डा० राव से लिखा पढ़ी भी की किन्तु उस का पता नहीं लग रहा है कि उस स्कीम का क्या बन रहा है। उस की चर्चा भी सुनने में नहीं आ रही है। इसलिए संथाल परगने के विकास और वहां की सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस पुनाक्षी डैम पर ध्यान देना ज़रूरी है और उसे बनाना बड़ा आवश्यक है।

सिंचाई के साथ बिजली का प्रश्न भी सामने आ जाता है। हमारे यहां ग्रामों के विद्युतीकरण की बात बहुत की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें ग्रामों में बिजली रोशनी या पंखों के चलाने के लिए नहीं चाहिए बल्कि गांवों में बिजली हमें सिंचाई का काम करने के लिए चाहिए। मैं अपने इलाके की बाबत बतलाना चाहता हूं। हमारे वहां चांदन, बड़वा और ओड़नी नदियां हैं जिनके दोनों ओर यदि बिजली दे दी जाय तो ट्यूबवैल्स से काफ़ी सिंचाई हो सकती है। दोनों तरफ़ का इलाका बड़ा सरसब्ज है। अगर उन जगहों में बिजली का कनैक्शन दे दिया जाय तो काफ़ी सिंचाई का काम हो सकता है। मैं जब से यहां आया हूं इस इलाके के गांवों में बिजली दिये जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहां के इलाक़ों में सिंचाई के लिए बिजली का कोई कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उधर मंत्री महोदय ध्यान दें।

ग्रामों के विद्युतीकरण से यह आशा की गई थी कि हमारे गांवों में बेकारी की समस्या हल हो जायगी। जमशेदपुर, टाटा, हैवी एलेक्ट्रिकल्स और बोकारो के जो बड़े-बड़े कारख़ाने हैं या बन रहे हैं वे हमारी इस बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बेकारी की

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

समस्या का समाधान तो हम छोटी-छोटी कौटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में और जो घरेलू उद्योग हैं उन्हें चालू करके ही कर सकते हैं। बिजली उस का बहुत बड़ा साधन है लेकिन वह बिजली इन छोटी-छोटी कौटेज इंडस्ट्रीज़ के कामों के लिए उपलब्ध नहीं की जा रही है।

बिहार में आटा चक्की और छोटे छोटे हलर्स बहुत बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। उन में पांच, पांच और सात, सात हजार रुपया लगा कर लोग किसी प्रकार अपना गुजारा कर रहे हैं लेकिन इनके लिए बिजली की दर काफ़ी बढ़ा दी गई है उनकी लाईसेंस फ़ीस में भी वृद्धि कर दी गई है, जिससे आज इन आटा चक्कियों और हलर्स के बंद होने की नौबत आ रही है और बेकारी की समस्या और बढ़ रही है।

अब थोड़ा मैं सड़कों की बाबत अर्ज करना चाहूंगा। हमारे ये कांग्रेसी बंधु जो बैलों की पूंछ पकड़ कर चुनाव रूपी वैतरणी को पार करके यहां सत्ता में आये हैं आज उन गरीब बैलों की, बिहार में सड़कों की ख़राबी के कारण जो दुर्गति हो रही है उसकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां जो सड़के हैं वह कच्ची हैं और बहुत बुरी हालत में बगैर मरम्मत के पड़ी हुई हैं और बरसात के दिनों में तो कीचड़ भर जाने के कारण यह बेचारे बैल घुटने घुटने तक उसमें घंस कर ही रह जाते हैं। इसलिए मंत्री महोदय सड़कों को ठीक करने की ओर ध्यान दें।

हमारे बिहार के गांवों में चिकित्सा व्यवस्था का भी बिल्कुल अभाव है और लोगों को वक्त पर दवाई भी नहीं मिल पाती। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय चिकित्सा व्यवस्था को भी सुधारने की ओर ध्यान दें।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आज जब बिहार राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर यहां विचार किया जा रहा है तो यह आवश्यक है कि हमारे राज्य में जो स्थिति है उन में से कुछ मुख्य मुख्य बातों की तरफ़ मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं।

अभी माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र ने यह बतलाया है कि राष्ट्रपति शासन के बाद से बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गयी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यह तथ्य नहीं है।

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और इस सदन में भी उस के बारे में सवाल उठाये गये हैं। सब से पहले मैं उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं और इस सदन में भी यह बात उठायी जा चुकी है कि गत 30 जुलाई को छपरा में श्री विश्वनाथ सिंह को पुलिस वालों ने किरिच भोंक कर हत्या कर दी। उस के बाद, यानी 19 अगस्त को, वहां की पुलिस के लोगों के साथ एक दूसरी फुटबाल टीम का मैच चल रहा था। पुलिस वाले एक गोल से हार गये। उस के बाद उन्होंने उकसाने वाला काम शुरू किया और लड़ाई झगड़ा करने लगे। उस के बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया, फुटबाल के खिलाड़ियों पर भी और उन के साथ-साथ जनता के ऊपर भी।

पटना में तिब्बी कालेज तथा आयुर्वेदिक कालेज के छात्र हड़ताल पर हैं। उन की मांग है कि आयुर्वेदिक और तिब्बी कालेजों को निकट के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर दिया जाये और उन्हें भी दूसरे डाक्टरों की तरह सरकारी नौकरियां दी जायें।

इन मांगों को ले कर के उन की हड़ताल चल रही है। यह आन्दोलन 1966 से चल रहा है। इस सिलसिले में 91 छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उन लोगों को पटना जेल में रक्खा गया है। एम० ए० और बी० ए० पढ़ने के बाद, ग्रैजुएट होनें पर भी, वे सी क्लास में रक्खे गये हैं। पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार करते समय पीटा, कालेज कैम्पस में पीटा। इतना ही नहीं, पटना मेडिकल कालेज की उस गुलिबिया देवी के साथ जो वाकया हुआ वह आप जानते हैं। रांची मेंटल हास्पिटल में महिलाओं की हालत को आप जानते हैं।

इसी तरह से दरभंगा में अराजपत्रित कर्मचारियों पर लाठियां चलाई गई। उस के बाद पटना शहर के बिल्कुल निकट फुलवारी शरीफ में दिन रात चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। वहां एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्म के नेता हैं। उन मौलाना के घर में 6,000 रु० की चोरी हुई। लेकिन बार-बार कहने पर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी 27 अगस्त के दैनिक "आर्यावर्त" में एक खबर निकली है कि :

'बिहटा क्षेत्र में अपराधकर्मी सक्रिय, लोगों में आतंक' वहां पर 10–12 आदमियों का एक गिरोह है जिन्होंने एक ही दिन में चोरियां भी कीं, डकैतियां भी डालीं और कत्ल भी किये। यह तो वहां की ला ऐंड आर्डर की हालत है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि छपरा में जो विश्वनाथ सिंह की हत्या की गई उस की न्यायिक जांच कराई जाय।

हमारे यहां अय्यर कमिशन का काम चल रहा है, छः कांग्रेसी भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ। कोशिश यह हो रही है। कि उस को सैबाटेज किया जाये। इस के लिये बड़े-बड़े अफसर कार्यशील हैं।

इस के अलावा वहां की शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर विश्वविद्यालय में सुधार लाने के नाम पर, उन को कार्यक्षम बनाया जाय इस नाम पर रमण कमेटी की स्थापना की गई है जिस में सात सदस्य हैं। लेकिन उन में से कोई भी शिक्षा-विद नहीं है। श्री बलभद्र जैसे शिक्षाविद् को भी जो विश्वविद्यालय है, वाइस-चांसलर रह चुके हैं, उस कमेटी में नहीं रक्खा गया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमिशन के भ्रष्टाचार के बारे में एन्क्वायरी करने के लिये संविद् सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस ने इस कमेटी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये, निन्दा की, लेकिन रमन कमेटी का गठन उसी ने किया है। जिसमें सात आदमी रक्खे गये हैं। किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। बिहार के कालेजों में पचास विषय पढ़ाये जाते हैं, लेकिन जो सदस्य इस कमेटी में रक्खे गये है वे छः सात विषयों की ही जानकारी रखते हैं। इन में से हर एक आदमी को 1500 रु० महीना आनरेरियम के रूप में दिया जायेगा और इस तरह से 10,000 रु० माहवारी खर्च होगा। लेकिन सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों की पांच दिनों की हड़ताल का वेतन देने के लिये तैयार नहीं है।

इस के अलावा वहां अन्धों का स्कूल है। उस के छात्रों ने हड़ताल की, गवर्नर के सामने प्रदर्शन किया, मैं ने यहां उस के बारे में प्रश्न किया तो यह जवाब दिया गया कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं यह सरकार क्या करती है सोती है या जागती है, जो इस तरह के जवाब देती है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

अराजपत्रित कर्मचारियों के सिलसिले में इस सदन में भी कई प्रश्न उठाये गये, सरकार ने उन का जवाब भी दिया, लेकिन वहां अब भी विंडिक्टिव ऐटिट्यूड की भावना से काम किया जा रहा है। अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल के बाद की कार्रवाईयों को वापस नहीं लिया गया है, मुकदमे वापस नहीं किये गये, पांच दिन की तन्ख्वाह नहीं दी गई है। उन की तन्ख्वाह दी जानी चाहिये और संविद् सरकार ने जो फैसले किये थे उन्हें लागू किया जाये तथा इस में गोल माल करने वाले जो मुख्य सचिव हैं, सोहनी साहब, उन को उन के पद से हटा दिया जाये, क्योंकि उन की वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है।

मैं आप के जरिये यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर बोलते समय पूरी तरह प्रकाश डालने की कोशिश करें ऐसा प्रयत्न करें कि वहां की स्थिति में सुधार लाया जा सके जिस में जनता में जो असन्तोष है, परेशानी है उस को हम हल कर सकें और बिहार की प्रगति हो सके।

MR. SPEAKER : The difficulty is this. There is only one hour allotted by the Business Advisory Committee. Within this, I am trying to accommodate as many as possible, by giving five minutes each. But if in one party three Members want to be accommodated, I do not know what to do. At the cost of the Congress party, I have been trying to apportion some time to Shri Surya Prakash Puri, Shri B. S. Sharma and Shri Ram Avatar Shahstri who have spoken. Even within each party, if three Members want to speak, I do not know what to do. (*Interruption*) You must help me. What can I do ? The Chair cannot help it. Three Members want to speak from one party. The Chair cannot help anybody or any party at this rate.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : Please give me two or three minutes.

MR. SPEAKER : All right ; I have no objection. When the Opposition gets three, at least one from the Congress must get an opportunity.

श्री द्वा० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्ववक्ता ने बिहार की कतिपय अव्यवस्था का जो हवाला दिया, उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े देश में कहीं न कहीं अव्यवस्था होती ही रहती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय संविद की सरकार थी कोई भलामानुस अपने परिवार के साथ गाड़ी में ट्रैवेल नहीं कर सकता था। आज वह स्थिति नहीं है। यह ठीक है कि कहीं चोरी हो, लूट हो, तो उस की एन्क्वायरी होनी चाहिए। छपरा में विश्वनाथ सिंह को मारा गया तो उस के सम्बन्ध में एन्क्वायरी जरूर होनी चाहिये, मगर एन्क्वायरी होने के बाद जो असली अपराधी साबित हो उस को सजा होनी चाहिये, ऐसा न हो कि कुसूर तो राम ने किया हो और सजा श्याम को हो जाय।

बिहार की वित्तीय अवस्था बहुत ही खराब है, और दो वर्षों के सूखा के कारण वहां के किसानों की रीढ़ ही टूट गई है।

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : उत्पादन बढ़ा है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं कह रहा था की दो वर्षों के सूखे के कारण वहां के किसानों की रीढ़ टूट गई है। अभी इस वर्ष जो फसल हुई है उस से भी उन में उतनी जान नहीं आ सकी है कि अपने कर्जे को अदा कर सकें। हालांकि वह कर्जे को अदा करना

चाहते हैं लेकिन गत दो-तीन वर्षों में ऋण के ब्याज का बोझ इतना बढ़ गया है कि वह लोग दे नहीं सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन के ब्याज को माफ कर दिया जाये और जो असल रुपया है वही उन से लिया जाय। एक मर्तबा जब पं० विनोदानन्द झा चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने रुपये की वसूली के लिये एक तारीख नियत की कि नियत तारीख तक असली रुपया दे देने से ब्याज माफ कर दिया जायेगा। उस से 11 करोड़ रू० वसूल हुआ था। आज भी किसानों को मदद पहुंचाने के लिये उन को यह सुविधा देनी चाहिये ताकि वह अपना कर्ज अदा कर सकें। यदि मंत्री महोदय इस पर सोचें और दो महीने की तारीख दे कर यह घोषणा कर दें कि एक निश्चित तारीख तक जो किसान अपना मूल क़र्ज दे देगा, उस का ब्याज माफ कर दिया जायेगा तो रुपया भी वसूल हो जायेगा और किसानों को मदद हो जायेगी, उन को राहत मिल जायेगी।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा कहने का समय नहीं है, इस लिये मैं केवल दो या तीन बातें कहूंगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि यह बैकवर्ड स्टेट इस लिये रह गई हैं कि उस के लिये बहुत कम मदद सेंटर से मिलती है। माननीय सदस्य जो बिहार के हैं उन्होंने भी इस चीज की परसों चर्चा की है। मैं खास तौर से दो-तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इस में जाना नहीं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है या उससे पहले क्या हुआ है। बिहार बंगाल के बिल्कुल नजदीक है। इस वास्ते बहुत सी चीजों का हमें भी काफी अनुभव है।

बिहार में दो किस्म की सरकारें चल रही हैं। एक तो टाटा की सरकार चल रही है और एक कांग्रेस की सरकार चल रही है। टाटा तमाम चीजों को अपने तौर से चलाता है और कांग्रेस की सरकार अपने तौर से चलाती है। ला ऐंड आर्डर की जितनी चीजें हैं टाटा या जो धनिक वर्ग हैं वे उनको अपने तौर से चलाते हैं और कांग्रेस सरकार उनको अपने तौर पर चलाती है। धनिक वर्ग का जो तरीका है वह कांग्रेस के तरीके से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? क्यों टाटा का राज वहां चल रहा है? इस वास्ते चल रहा है कि कांग्रेस ने उसको बरदाश्त किया है और कांग्रेस की ही वजह से वह चल रहा है जिस ने उन्हें इतने दिनों तक बचा कर रखा है। इस जिम्मेदारी से कांग्रेस इन्कार नहीं कर सकती है।

आप कोल माइंज को लें। वहां कोल माइंज बहुत ज्यादा है। इन कोल माइंज में मजदूरों को ट्रेड यूनियन कायम करने का अधिकार नहीं है। वहां की सरकार ने कोल माइंज के मालिकों के स्वार्थों की रक्षा के लिए ऐसे कानून बना रखे हैं कि अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो दो-दो और तीन-तीन बरस उसकी डिसपोजल में लगा दिये जाते हैं और उनकी इच्छा होती है तो इसको रजिस्टर कर देते हैं और जिस पर उनकी इच्छा नहीं होती है तो नहीं करते हैं। सरकार जिस को कहती है कि मान्यता दे दो, उसको मान्यता दे दी जाती है। आई० एन० टी० यू० सी० की जो यूनियन होती है उसको तो मान लिया जाता है और दूसरी जो होती हैं उनको माना नहीं जाता है। यह हालत वहां चल रही है।

झरिया के इलाके में आप जायें और देखें कि हालत क्या है? वहां पर जो

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

कर आपको यह पता नहीं चलेगा कि यहां पर कोई सरकार भी है या नहीं है। पुलिस वहां की मालिक है और उसका ही राज वहां चल रहा है। या तो कोल माइंज के जो मालिक हैं उनकी वहां चलती है या फिर पुलिस की चलती है। सरकार वहां कुछ नहीं कर सकती है। मालिकों ने वहां पर गुण्डों के गिरोह बना कर तैयार रखे हुए हैं। अगर मजदूर वहां पर आवाज उठाते हैं कि हमें यह तकलीफ है तो पहले तो डंडे का सहारा लिया जाता है, उनके जो लीडर हैं उनके सिर तोड़े जाते हैं और बाद में जबर्दस्ती एजीटेशन को दबा दिया जाता है। कई लोगों को जान से भी मार डाला गया है। कोल माइंज के मालिक जिस किसी को कहते हैं कि पकड़ कर ले जाओ, पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और धारा 107 में कैद कर लेती है और जेल भेज देती है। कई इस तरह की मिसालें मैं पेश कर सकता हूं।

अभी हाल ही में मैं रांची गया था। किस तरह से वहां पर ट्रेड यूनियन के अधिकारों में दखल दिया जाता है, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। उनको जायज तरीके से भी काम करने की इजाजत नहीं दी गई है। 17 तारीख को एक मीटिंग होने वाली थी और उसी सिलसिले में मैं वहां गया था। इस मीटिंग का तीन दिन पहले एलान भी हो चुका था। सब तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई थीं। जिस दिन मीटिंग होनी थी और जिस समय पर मीटिंग होनी थी उसके दो घंटे पहले या तीन घंटे पहले हथिया थाने के अफसरों को यह आर्डर दिया कि यहां मीटिंग नहीं होगी और अगर आपको मीटिंग करनी है तो यहां से आधा मील दूर जा कर आप कर सकते हैं। क्योंकि मजदूर सब उस में आना चाहते थे इस वास्ते वहां मीटिंग नहीं होने दी गई। मैंने कहा कि चलो वहां चल कर कर लेंगे। मैंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन से पूछा कि क्या आपको कोई आबजैकशन है मीटिंग होने पर इस जगह पर और क्या पुलिस ने आप से पूछ कर ऐसा किया है तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आबजैकशन नहीं है, यह पुलिस ने अपनी मर्जी से किया है, थाने वालों ने अपनी मर्जी से किया है। थाने वालों ने हमें बताया कि यह आर्डर उन्होंने अपनी तरफ से दिया है और अगर ज्यादा इसके बारे में कहा गया तो धारा 144 लागू कर दी जाएगी। पता नहीं वहां पर सरकार है भी या नहीं। ये हैं तरीके जिन का सहारा ले कर पुलिस ट्रेड यूनियन मामलों में दखल देती है।

गवर्नमैंट एम्प्लायीज का वहां एजीटेशन चला था। जिन को उस एजीटेशन के सिलसिले में ससपैंड किया गया था उनके ससपैंशन आर्डर आज तक विदड्रा नहीं किये गये हैं। सरकार ने यह बात मानी थी कि उनकी बात सुनी जाएगी ससपैंशन आर्डर वापिस ले लिये जायेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसके बारे में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है।

प्राइमरी मास्टरों के लिए डी० ए० मंजूर गया था। 120 रुपये प्राइमरी टीचर्ज के लिए मंजूर गया था लेकिन उन से कहा गया कि आपको नैशनल सेविंग्ज में यह पैसा जमा करना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि प्राइमरी टीचर्ज की तनख्वाह बहुत कम होती है। वे बेचारे भूखे मर रहे हैं। कई तो मर भी गए हैं। अब सरकार उन से कह रही है कि तुम्हारा डी० ए० नैशनल सेविंग्ज में जाएगा।

बैक्वर्ड क्लासेस का वहां पर एक्सप्लायटेशन चल रहा है। उनकी हालत बहुत गिरी हुई है। आदिवासियों के अन्दर आग जल रही है। मालूम नहीं वह आग आगे चल कर क्या रूप ग्रहण करेगी। जब उसने भयंकर रूप धारण किया तो आप उसको सम्भाल नहीं पाएंगे। जो गरीब आदिवासी देहातों में रहते हैं वहां बड़े बड़े लोग चले गए हैं और उनको कर्ज दे कर उनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उनको उन जमीनों से बेदखल कर दिया गया है। वे अपनी जमीन को वापिस चाहते हैं और उसके लिए आन्दोलन भी कर रहे हैं।

जो कारखाने वहां खुले हैं उन में भरती का सवाल भी है। वे यह चाहते हैं कि वही के रहने वालों को पहले उन में भरती किया जाए। इस वास्ते भी वहां पर आन्दोलन चल रहा है। यह आन्दोलन उचित है, जायज हैं। लाठियां चला कर, गोलियां चला कर उनके आन्दोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

पुरुलिया में किसानों का आन्दोलन चल रहा है, बटाई का आन्दोलन चल रहा है। उसका हल नहीं ढूंढा जाता है और तरह-तरह के उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। और कहते हैं कि क्या आप वहां पर नक्सलबाड़ी का निर्माण करना चाहते हैं। किसानों के सवाल को, बटाई के सवाल को आप हल क्यों नहीं करते हैं। हल करने के बजाय उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश वहां हो रही है।

वहां कास्टिज्म बहुत जोरों से चल रही है। यह बीमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसी हुई है, पुलिस डिपार्टमैंट में घुसी हुई है। पुलिस अफसर उसी कास्ट के लोगों को नौकरी देते हैं जिस कास्ट के वे खुद होते हैं, अपनी कास्ट वालों की ही मदद करते हैं। जो अफसर हैं वे अपनी कास्ट के लोगों को ही भरती करते हैं। कोई चैक उन पर नहीं है। यह बीमारी भी कांग्रेस की पैदा की हुई है। जातीयता का वहां सब से बड़ा मर्ज है।

मैं वहां पर तीन दिन पहले गया था; एक ही कारखाने में आई० एन० टी० यू० सी के अन्दर दो गुट चल रहे हैं। उन में आपस में लाठियां चलीं, सिर फूटे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दें। नहीं तो ये बातें विकट रूप धारण करेंगी।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज): बिहार में आज राष्ट्रपति शासन है। बहुत सी घटनायें वहां ऐसी हो रही हैं जिन्हें हम पिछले साल की लैगेसी अथवा करनी एक की भरनी औरों की कह सकते हैं। उस लैगेसी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें काफी दिक्कत पड़ रही है। इसलिए मैं दो तीन चीजें नमूने के तौर पर ही रखूंगा जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। कहने को तो बातें बहुत हैं लेकिन समय ही कहां है।

पहली चीज तो यह है कि यहां कहा गया है कि ला एंड आर्डर खत्म कर दिया गया है और साल भर में जो कुछ हुआ है उसके अनेक उदाहरण भी दिये गये हैं। उसी सिलसिले में एक बात ऐसी आई है कि जिस की इस सदन में थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई है। छपरे में एक आदमी मारा गया। उसकी डिटेल्ज में जाना गैर बाजिब होगा चूंकी केस की इनक्वायरी चल रही है। केस चलेगा। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि उस केस का नतीजा जो कुछ हो, जिन सरकारी अफसरों के

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं कि वे उस के बघ में शामिल थे, वे वहां हाजिर थे उन्हें तो वहां से हटा ही दिया जाना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कभी भी सच्ची और सही इनक्वायरी नहीं हो सकेगी।

अब मैं उसके बारे में जो डाकुमैंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूं। पुलिस कांस्टेबल ने खुद ही कहा कि हम तोगों ने उसे बोनट भोंका इस वास्ते कि वह हम पर चोट न कर सके। लेकिन डाक्टर ने कहा है कि चार चोटें ऐसी हैं जिन में से एक भी उसे खत्म करने के लिए काफी थी। वैसी हालत में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां के पुलिस अफसरों को और दूसरे अफसरों को जिन के बारे में जरा भी शिकायत है कि उन का कोई दूर का भी सम्बन्ध उससे रहा है, उन्हें छपरे से हटा कर दूसरी जगह बदल दिया जाए और केस खत्म हो जने के बाद जो वाजिब समझा जाए किया जा सकता है।

ला एंड आर्डर का एक दूसरा नमूना मैं पेश करता हूं। चाहे यूनिवर्सिटी एग्जेमिनेशन हो या हायर सैकेंड्री बोर्ड का हो, कोई भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पाती है। खबरें तो यहां तक आई हैं कि न सिर्फ इनविजिलेटर्ज को पीटा गया है बल्कि दो तीन टीचर्ज को तो मार भी दिया गया है। यह खबर भी है कि अनेक स्थानों पर लोग लाउड स्पीकर पर एग्जेमिनेशन हाल के पास से जोर जोर से सवालों के जवाब लिखा रहे थे। ऐसी जब हालत है तो आप इन परीक्षाओं को बन्द ही क्यों नहीं कर देते हैं। इस तरह की बेकार की परीक्षाओं का कोई लाभ नहीं है। जो शिक्षित कर्मचारी रखना चाहते हैं वे प्राइवेट तौर पर टैस्ट ले कर जिसे चाहें नौकर रख लेंगे।

बातें छोटी-छोटी हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। पिछले साल संविद की सरकार ने आने के साथ ही तबके वन मंत्री ने और उनका परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक हुकम निकाल दिया कि जहां एफारेस्टेशन पांच बरस से पुराना हो चुका है उसकी बाड़ को, उसकी फेंसिंग को हटा दिया जाए और लोगों को उसी तरह से छूट दे दी जाए जिस तरह से दूसरे जंगलों में रहती है। नतीजा यह हुआ कि पांच दस बरस की मेहनत पर पानी फिर गया। आज किसी सरकारी अफ़सर में यह हिम्मत नहीं है कि वह सरकार को यह आर्डर बदलने के लिए कहे। वह नहीं जानता है कि उस जगह पर कल फिर कौन आ जायेगा। अगर बिहार की बन-सम्पदा को बचाना है, तो उस की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो जितनी मेहनत हुई है, वह बर्बाद हो जायेगी।

कृषि विभाग द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है और हो रहा है, लेकिन एक बात की शिकायत मुझे बहुत मिली है कि कई महत्वपूर्ण काम समय पर नहीं किये जाते हैं, जैसे बीज बहुत देर से पहुंचाया जाता है। पिछले साल गेहूं का बीज दिसम्बर में पहुंचा और इस साल धान का बीज—या शायद उस की पहली ही किश्त—जुलाई में पहुंची। इस प्रकार वह बीज बेकार हो जाता है, या उस का बहुत थोड़ा उपयोग होता है। मंत्री महोदय कृपया यह व्यवस्था करें कि अगली रबी की फ़सल में यह बात न हो। बीज समय से पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर्ज से सब जगह पहुंच जायें, ताकि वे किसानों को मिल सकें। ये सिर्फ़ प्रशासनिक बातें हैं। इन में सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं है। सभी यह चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए।

हमें बड़ी खुशी है कि संविद सरकार ने बहुत काफ़ी नलकूप लगाये, लेकिन इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने की बात है कि नलकूप वहीं लगाने में लाभ है, जहां बिजली मिले, यानी जब जेनरेशन और ट्रांसमिशन पूरा हो जाये, तभी नलकूप लगाने में लाभ है। जब से इस की प्लानिंग होती है, तब से बिजली के जेनेरेशन और ट्रांसमिशन के पूरा होने में पांच छः बरस लगते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि पांच छः बरस की मेहनत से एक फ़ेज़ तैयार हुआ था, जिस का फ़ायदा संविद सरकार ने उठाया। यानी जब फ़सल तैयार होकर घर में आ गयी तो रोटी पका कर संविद ने खिला दिया, और यह काम फ़सल तैयार होने के पहले संभव नही था। अब आगे का जो फ़ेज़ होगा, राष्ट्रपति शासन की सरकार को उस में काम करके दिखाना चाहिए।

एक बहुत महत्व की बात यह है कि हम सुधार की जितनी भी बातें करते हैं, वे सब की सब सेक्रेटेरियट तैक रह जाती हैं। सेक्रेटेरियट से निकल कर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने में और डिस्ट्रिक्ट से किसानों तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाई पड़ती है। यदि हम प्रशासन की इस कठिनाई को दूर नहीं करेंगे, तो जनता का कोई भी काम ठीक समय पर और उचित प्रकार से नहीं हो पायेगा।

मध्यावधि चुनाव हमारे सामने है। हमारे कई मिनिस्टर्ज़ के ख़िलाफ़ एन्क्वायरी चल रही है। वह एन्क्वायरी ज़रूर पुरी हो। जज साहब ने हुक्म दिया कि सब कागज़ अभियुक्त मंत्रियों के वकीलों को दिखाये जायें, लेकिन उन की ओर से शिकायत हो रही है, बराबर उन की ये दरख्वास्तें पहुंची हैं और अख़बारों में ख़बरें आ रही हैं कि सब कागज तो मिलते नहीं हैं, ग़ायब कर दिये गये हैं, या वे थे ही नहीं। यह शंका इस लिए होती है कि कितने दिन लगे उन को चार्ज का नाम लेते लेते और लाने में। इस से जान पड़ता है कि बिना पूरी तरह समझे-बूझे चार्ज लगाये गये थे और इस लिए आज प्रमाण लाने में कठिनाई हो रही है। इस लिए जल्दी से जल्दी उन काग़ज़ों को सामने लाकर सच झूठ को स्पष्ट करा लिया जाये।

उस के बाद संविद सरकार के मंत्रियों के ख़िलाफ़ भी कुछ चार्जिज हैं। उन पर भी जल्दी से जल्दी विचार होना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी अन्याय और दुखकी बात है, अनुचित है कि जब तक आदमी एक्यूज्ड है, कनविक्टिड नहीं हो चुका है, तब तक इलैक्शन के बीच में उस को कठिनाई पड़े। और उसके विरुद्ध हर प्रकार का अनुचित प्रचार किया जाये मानो वह दोषी सिद्ध हो चुका है। इस लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी या उन का कनविक्शन हो जाये या ऐक्विटल हो जाये—जो कुछ भी होना है, वह हो जाये।

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल की क्लाज 3(1) में दिया हुआ है :

> "The power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, which has been declared by the Proclamation to be exercisable by or under the authority of Parliament, is hereby conferred on the President."

कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यह अधिकार किसी भी हालत में राष्ट्रपति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को जब पावर मिलती है, तो वे उस का दुरुपयोग करते हैं।

[श्री कामेश्वर सिंह]

बिल की क्लाज 3 (2) में कहा गया है :

"Provided that before enacting any such Act, the President shall, whenever the considers it practicable to do so, consult a Committee constituted for the purpose consisting of forty members of the House of the People nominated by the Speaker and twenty members of the Council of States nominated by the Chairman."

इस कमेटी को क्या पावर दी गई है ? कुछ भी नहीं। इस में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति ऐसा करना प्रैक्टिकेबल समझेंगे, तब इस कमेटी को कनसल्ट करेंगे। अधिकारीगण, आइ० सी० एस० आफ़िसर्ज, के दिमाग़ में यह कभी भी नहीं आयेगा कि इस कमेटी को कनसल्ट करना प्रैक्टिकेबल होगा। अगर इस कमेटी को कनसल्ट किया जायेगा और वह राष्ट्रपति को एडवाइज करेगी, तो उन अधिकारियों की बात नहीं चलेगी। इस बिल में साफ़ नहीं किया गया है कि इस कमेटी को किस हद तक पावर्ज हैं। मंत्री महोदय इस बात को साफ़ करें कि इस कमेटी की क्या पावर्ज हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस कमेटी को बनाना एक फ़ार्स है।

किसानों को ट्यूबवैल बोर कराने और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ख़रीदने के लिए पच्चीस परसेंट जो सबसिडी मिलती थी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होते ही तुरन्त उस को विदड्रा कर लिया गया। वह सबसिडी फिर से देनी चाहिए। अगर किसानों को वह सबसिडी नहीं मिलती है, तो वे बोरिंग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ग़रीब हैं।

जहां तक कर्ज़ वसूली का सम्बन्ध है; कर्ज को बिना सूद के वसूल करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी अधिकारी ग़रीब किसानों के साथ हर तरह से नाजायज व्यवहार और अत्याचार करते हैं। हर एक चीज का ख़राब असर ग़रीब किसानों पर पड़ता है, जब कि अच्छा असर करोड़पतियों पर पड़ता है।

श्री चव्हाण के आश्वासन पर नान-गज़ेटिड एम्पलाईज ने अपनी स्ट्राइक वापिस ले ली। लेकिन उन के साथ इतना ज्यादा विक्टिमाइज़ेशन हो रहा है, जिस की कोई हद नहीं है। यह सब धांधली बन्द होनी चाहिए।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि संविद सरकार के काल में रात को नींद नहीं आती थी, सब ओर अराजकता थी, डाके पड़ते थे, आदि। लेकिन राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद बिहार में ला एंड आर्डर की यह हालत हो गई है कि पटना जैसे बड़े शहर में, जहां सैकड़ों आई० पी० एस० आफ़िसर हैं, दिन-दहाड़े डाके पड़ते हैं। वहां पर चोरी, डाके, हत्या आदि सब अपराध बढ़ गये हैं।

आदिवासियों पर सूदखोरों, मनी-लेंडर्ज, का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। संविधान के पांचवें शिड्यूल के पार्ट बी, 5(2) (ए) में कहा गया है :

"prohibit or restrict the transfer of land by or among the members of the Scheduled Tribes in such area ;"

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि संविधान में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन के माध्यम से आदिवासियों पर सूदखोरों और मनीलेंडर्ज के अत्याचार को बन्द किया जाये। आज उन में बहुत आतंक फैला हुआ है। जब अखबारों में और राजनैतिक दलों द्वारा इस आतंक की बात कही जाती है, तो कांग्रेसी लोग

कहते हैं कि कोई आतंक नहीं है, वह छोटी सी बात है।

संविद सरकार ने लगान वसूल करने के हजारों साल पुराने तरीकें को हटा दिया था। बिहार के बजट में लगान को फिर लागू कर दिया गया है। मेरी मांग है कि अगले सत्र में एक बिल ला कर लगान प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। रेन्ट को खत्म करना चाहिए। संविद सरकार ने ऐसा सोचा... (**व्यवधान**) ... आप बैठिए, यह बिहार का मामला है, मध्य प्रदेश का नहीं।

दूसरी बात—बिहार की संविद सरकार ने देखा कि बिहार में एक बहुत ही नापाक चीज है, टाटा की जमीदारी, उस को खत्म करना चाहा पर इन पूंजीपतियों के गोलमाल के कारण यह संविद सरकार नहीं चल सकी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगले सत्र में एक बिल ला कर वह टाटा की जमीदारी को खत्म करें।

आखीर में, यह सब सुधार करने के लिए मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि अगले सत्र में इस सदन में वह बिल लायेंगे और एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापस लें। सारी शक्ति इसी सदन को रहेगी न कि राष्ट्रपति को जायगी।

श्री भोला राउत (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन बिहार में जब लागू हुआ तो समूचे राज्य में ऐसी खुशी हुई जिस का कि मैं क्या वर्णन करूं? अभी हमारे कुछ साथी चोरी और डकैतियों का जिक्र कर रहे थे। मैं उन को यह बताना चाहता हूं कि जिस समय संविद की सरकार बनी, हमारे अपने ही क्षेत्र में भैसही गांव में इतनी बड़ी डकैती पड़ी कि जितनी बड़ी डकैती दुनिया में कहीं नहीं पड़ी होगी। एक बार संसद में उस का जिक्र आया था... (**व्यवधान**)... आप की संविद सरकार के जमाने में यह डकैती पड़ी और पचासो लाख का सामान नकदी जेवर सब उस में गायब हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं वह डकैती कैसे हुई? बाकायदा डकैती के पहले डकैत वहां गए और उन्होंने एक मीटिंग की, जिस तरह से कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग मीटिंग करते हैं। उस के बाद फिर अच्छी तरह से तैयारी कर के यह डकैती पड़ी और उस में रामनारायण साव को बन्दूक से मारा गया। उस के बाद उन्होंने समझा कि वह तो मर गए। मगर वह मरे नहीं थे। जब वह डकैती कर के भाग रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि यह तो अभी जिन्दा है तो उस को फिर से मारने के लिए गोली निकाली। तब उस ने उन का नाम लेकर कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? वह नाम नौकर ने सुन लिया और उस ने डी० एस० पी०. के सामने अपना बयान दिया है। डी० एस० पी० ने बताया इस चीज को। पुलिस अरेस्ट करने के लिए गई उस आदमी को तो संविद सरकार का वायरलेस गया कि बगैर सबूत के किसी को गिरफ्तार न किया जाय। यह रिपोर्ट है।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति शासन के पहले वहां शास्त्री जी की सरकार थी। उस में कुछ ऐसी बातें हुई जैसे एक हरिजन लड़की जो बी० ए० बी० टी० थी, शास्त्री जी ने उसको मिडिल स्कूल के हेड मिस्ट्रेस के पद पर बहाल किया। लेकिन जैसे ही शास्त्री जी हटे, उस का अप्वाइंटमेंट रद्द कर दिया गया और दूसरी तरफ जनसंघ के जो हाउसिंग के मिनिस्टर थे उन का एक आर्डर था जिस में कंकड़बाग पटना में

[श्री भोला राउत]

बने हुए मकानों को बांटा गया था, उन का वह आर्डर रहने दिया गया। मैं ने गवर्नर को चिट्ठी भी लिखी है उस हरिजन महिला के अप्वाइंटमेंट के बारे में और कुछ एजूकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षक थे, पटना के गर्दनियाबाग हाईस्कूल के एक शिक्षक को उस के रेप्रेजेन्टेशन पर शास्त्री जी ने ट्रांसफर किया था, लेकिन उन के मिनिस्ट्री से हटते ही डी० पी० आई० ने उस को नहीं माना। यह जो अफसरों की ज्यादती हैं इस के ऊपर मैं ने गर्वनर को लिखा था। आप के द्वारा मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन पर ध्यान दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल: अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उन में से बहुत से लोगों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहा। इस के पहले कि जो दूसरे मुख्य मुद्दे भाषणों के थे उन के उत्तर मैं दूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उन के बारे में हम लोग राज्य सरकार के अधिकारियों से परामर्श कर के देखेंगे कि किस हद् तक इन तीन चार महीनों में हम कार्यवाही कर सकते हैं।

जहां तक और दूसरी प्रशासकीय समस्याओं का सवाल है इस के बारे में मैं कह चुका हूं कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हम लोग ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते जिस से कि आने वाली लोक प्रिय सरकार के ऊपर कोई किसी तरह का वित्तीय भार पड़े। हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि लोक हित के और जनहित के जितने ज्यादा कार्य सम्पन्न कर सकें वह करें। कोई एक कामचलाऊ सरकार के रूप में ही कार्य न चले बल्कि जनहित के कार्य अच्छी तरह से और तेजी से होते चलें। यह जो मैं ने कहा यह पालिसी की बातें हैं और इसी के अन्तर्गत जो कुछ हम लोग कर सकते हैं, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन पर विचार कर के करने का यत्न करेंगे।

एक खास बात जो कामेश्वर सिंह जी ने कही उस के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने इस विधेयक का विरोध इसलिए किया कि इस से राष्ट्रपति को एक अधिकार मिल जाता है कि वह कानून बना सकते हैं बिहार के लिए। अब यह तो माननीय सदन को मालूम है कि पिछले 20 सालों में हमेशा जब भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के अन्दर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा तो यही प्रक्रिया अपनायी गई और सारा कार्य सन्तोष-पूर्ण ढंग से चला। एक भी किसी ने यह नहीं कहा कि इस का दुरुपयोग किया गया या संसद के अधिकारों का हनन हुआ या उन अधिकारों का...

श्री कामेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 20 सालों से प्रयोग किया इस प्रक्रिया का तो आज क्या एक नई चीज चला कर नहीं देख सकते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल: मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो चीज संतोष-पूर्ण ढंग से चल रही है जिस के ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं की उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कामेश्वर सिंह: वह इस से भी अच्छा चल सकती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल: यदि इस में कोई खामी दिखें तो जरूर हम इसे बदलन के लिए तैयार होंगे।

संसद की तरफ से एक सलाहकार समिति बनायी जा रही है। उस में

सब माननीय सदस्य रहते हैं। उन की सलाह ले कर उन से पूछ कर, उन से परामर्श कर के हम कार्यवाही करते हैं।

श्री कामेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। इस के मुताबिक सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि सलाहकार समिति से बराबर सलाह लेते रहें।

श्री विद्याचरण शुक्ल: आप जरा धैर्य-पूर्वक सुनें। आप बार बार तकलीफ करते हैं खड़े होने की। सिलसिलेवार मैं सब बता रहा हूं। जरा धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए।

मैं कह रहा था कि इस समिति के द्वारा हम लोग सलाह लेते हैं और सलाह के अनुसार काम करने का प्रयत्न करते हैं। जहां तक कि इस अपवाद का सम्बन्ध है कि किसी ऐसे समय पर जब कि सलाह लेने का मौका न हो, बिना सलाह लिए भी कानून बनाया जाय, यह प्रावधान जो किया गया है, यह आपत्कालीन प्रावधान है। इस का उपयोग बहुत कम करते हैं। कोई ऐसा आर्डिनेंस हो जो लैप्स होने वाला हो, कमेटी बुलाने का समय न हो, मेम्बर्स को नोटिस देने का पूरा टाइम न हो वह अध्यादेश जल्दी ही खत्म होने वाला हो, तब हम को इस को काम में लाना पड़ेगा। इस तरह के कानूनों में हमेशा एक एनेब्लिंग क्लाज रखा जाता है। इस का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई बिना परामर्श के कानून बनाने की इच्छा रखते हैं। अभी भी पांच छः कमेटियां इस तरह की चल रही हैं और कई माननीय सदस्य इस में हैं। वह जानते हैं कि हम ने कभी ऐसा नहीं किया। कभी अपवाद स्वरूप ऐसा करना पड़ा हो तो वह दूसरी बात है। नहीं तो साधारण रूप में हमेशा इस कमेटी की मीटिंग बुलायी जाती है और उस में पूरी तरह से विचार-विमर्श किया जाता है और उस के बाद यदि कमेटी पास करती है तभी हम कार्यवाही करते हैं। तो इस तरह की काल्पनिक कठिनाइयों को सामने लाकर विरोध के लिए विरोध करना यह कोई अच्छी प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस तरह केवल काल्पनिक डर से ऐसी चीजों का विरोध न करें जिन को कि अभी भी हम लोग इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों में ठीक तरह से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

18 Hrs.

और भी दो-तीन चीजें माननीय सदस्यों ने कही हैं, अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं उन के बारे में भी आपसे कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री द्वारिकानाथ तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया है और वह यह है कि किसानों को जो कर्जे दिये गये थे, उस के ऊपर उन से ब्याज वसूल किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में यह काम किया गया है, कितना उन को कर्जा दिया गया था...

श्री गुणानन्द ठाकुर: कर्ज की हालत वहां पर यह है कि किसानों को पांच-सात- दस वर्ष में जो कर्जा मिला है, अब तक वह सब पूरा कर्जा ब्याज के साथ वसूल किया जा रहा है और स्थिति यह है कि मूलधन से सूद बहुत अधिक हो गया है। आप अन्दाज लगाइये कि इस से किसानों की क्या हालत होगी। मूल धन से सूद दुगना हो गया है। इस लिये आप से अनुरोध है कि अगर आप सूद माफ़ कर देंगे तो इस से

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

किसानों का बहुत बड़ा कल्याण होगा और वे आपके आभारी होंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य तिवारी जी ने जिस चीज़ की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है, मैं उस के लिये धन्यवाद देता हूं। हम लोग इस को अवश्य देखेंगे तथा जांच पड़ताल के बाद जो कुछ इस में हो सकता है वह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का मामला उठाया गया है, मृत्युंजय प्रसाद जी ने ज़मीन का जो एफोरेस्टेशन हुआ है, उस के बारे में कुछ समस्यायें बताई हैं, अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में कुछ कहा गया है—इन सब के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंग।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को जो ज़मीनें मिली हैं, उस में टेनेन्सी एक्ट के अन्दर गवर्नमेन्ट से परमीशन लेकर बेचने का हक़ दिया गया है, लेकिन वे लोग उस ज़मीन को मौर्टगेज कर के रुपया लेकर खेती में नहीं लगा सकते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि उन को मौर्टगेज करने की पावर भी दी जाय। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के मामलों की जांच करने के लिये कहा गया है। इस में ज़रा भी हस्ताक्षेप करने का हमारा इरादा नहीं है। जो जांच हो रही है, वह ठीक से होती रहेगी तथा जो भ्रष्टाचार के दोषी पाये जायेंगे, उन्हें सजा दी जायगी।

मैं अन्त में सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें. . . . (**व्यवधान**) . . . .

Some Hon. Members *rose.*

MR. SPEAKER : Order, Order. Please sit down. I shall allow one or two Bihar Members who have not spoken to put questions.

The question is :

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(*Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws*).

SHRI BIBHUTI MISHRA *rose.*

MR. SPEAKER : I gave you a chance to speak. You have spoken already. I gave you the first chance in the Congress Party. You should not ask for a second chance. You are a senior Member. If you want you can move your amendments to clause 3.

SHRI BIBHUTI MISHRA : I beg to move :

Page 2, line 4,—

add at the end—

"and the President is authorised to delegate such power to the Council of Ministers" (1)

Page 2,—

(i) line 5,—

for "President" *substitute*—

"Council of Ministers"

(ii) line 7,—

for "he" *substitute*—

"it" (2)

Page 2,—

(i) line 9,—

for "President" *substitute*—

"Council of Ministers"

(ii) line 10,—

for " he " *substitute*—

" it " (3)

Page 2, lines 11 and 12,—

for " forty members of the House of the People "

substitute " fifty-three members of the House of the People belonging to the State of Bihar and twenty members of the House of the People belonging to other States" (4)

Page 2, line 14,—

for " President " *substitute*—

" Council of Ministers " (5)

Page 2, line 24,—

for "President " *substitute*—

" Council of Ministers " (6)

MR. SPEAKER : I shall put the amendments to vote now.

Amendments Nos. 1 *to* 6 *were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

" That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I beg to move :

" That the Bill be passed."

MR. SPEAKER : Motion moved :

" That the Bill be passed."

Now, those who have not spoken at all may now put questions. Only those ; one or two minutes does not matter.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अभी आदिवासियों के बारे में एक प्रश्न किया गया था और वह यह था कि आदिवासियों को कुछ लोग पैसा, धान, आदि और कर्जा देकर एक्सप्लायट कर रहे हैं, चाहे वे महाजन हों या विदेशी मिशनरीज तथा उसी कर्जे की आड़ में लोभ और भय दिखा कर उन का धर्म परिवर्तन हो रहा है बराबर की उड़ीसा सरकार ने इसी बात को ध्यान में रख कर बलात धर्म परिवर्तन रोकने के लिये एक कानून भी बनाया है। यह कोई नई समस्या नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिवासियों का कोई लोभ, लालच या कर्जे के दबाव में आ कर उन का धर्म परिवर्तन और उन की संस्कृति के साथ खिलवाड़ न करे, उन की जायदाद जबरदस्ती न छीने—इस दिशा में उड़ीसा सरकार की तरह का कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : चम्पारन के 36 आंचलों में से 14 आंचलों के अन्दर बाढ़ आई हुई है, वहां के कमिश्नर ने भी इस सम्बन्ध में बयान दिया है। न वहां पर मवेशियों के लिये चारे की व्यवस्था है, न दवाइयों की व्यवस्था है और न वहां की राशन की दुकानों पर उचित मात्रा में राशन दिया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे कि वहां पर मवेशियों के लिये चारा, दवाइयां और राशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं ?

दूसरा प्रश्न—रमन कमीशन में आपने ऐसे लोगों को बहाल किया है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोग शिक्षाविद हैं उन को नहीं रखा गया है। क्या आप इस कमीशन में शिक्षाविदों को लाने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री क० गो० सेन (पूर्णिया) : हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों से ज़मीन बेचने का अधिकार ले लिया गया है, वे सरकार की परमीशन से ज़मीन बेच सकते हैं। वे लोग यदि लैंड मौर्टगेज कर के लैंड-मौर्टगेज-बैंक से रुपया लेना चाहें, तो बैंक उस ज़मीन को मौर्टगेज नहीं करता है, कहते हैं कि यह तुम्हारा हक़ नहीं है। इस लिये मैं चाहता हूं कि आर्डिनेन्स पास कर के लैंड मौर्टगेज करने का हक़ उन को दिया जाय ताकि वे लोग ट्रैक्टर तथा इम्प्रूव्ड इम्पलीमेन्ट्स खरीद सकें।

दूसरे—रोड्स सेस की जितनी वसूली होती है, वह सरकारी ख़जाने में जमा हो जाती है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का 15–20 लाख रुपया बिहार सरकार के पास बाकी है, जिसकी वजह से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सारा काम रोड्स, ब्रिजेज़, स्कूल्ज़–सफर कर रहा है। इस लिये उस को यह रुपया देने का अवश्य प्रबन्ध किया जाय।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की बात उठाई गई है। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रपति शासन के बाद से बिहार में डकैतियां और चोरियां कम हो गई हैं। मैं इसी संदर्भ में एक उदाहरण रखना चाहता हूं—सहरसा ज़िले के पटु आहा गांव में एक ऐसी डकैती हुई जो इन्सानियत की सीमा को पार कर गई है। अभी तक वहां कोई खास कार्यवाही नहीं हुई है, वहां एस० पी० अभी तक सस्पेण्ड नहीं हुआ है—मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस की जांच करायें।

दूसरे—ला एण्ड आर्डर कायम करने के लिये एम० पीज़० की एक समिति बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि जब तक राष्ट्रपति शासन है इस समिति को ताकत दें। लाट साहब या आठ-सात एम० पीज़ समूचे क्षेत्र में या समूचे ज़िलों में नहीं जाते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि आप इस समिति को ताकत दें ताकि स्पाट पर जब वे कोई खराबी पायें या कोई खामी देखें या किसी अफसर की डयूटीज़ में कोई लैप्स पायें तथा वे रिकमेण्ड करें तो वह अफसर फौरन सस्पेण्ड होना चाहिये।

तीसरे—जहां तक शिक्षा का सवाल है मिथला यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हमारी बहुत दिनों से है, लेकिन अभी तक वह यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। इसी तरह से दरभंगा ज़िले के मधुबनी के आर० के० कालिज को कांस्टीचुएन्ट कालिज बनाने की मांग बहुत दिनों से है उस के पीछे के कालिज़िज़ को कांस्टीचूएन्ट कालिज बना दिया गया है, लेकिन इस कालिज को नहीं बनाया गया है—इस लिये इस को कांस्टीचूएन्ट कालिज बनाना बहुत ज़रूरी है।

चौथे—पटना में डेफ-एण्ड-डम्ब स्कूल सन 1930 में बना था, इस की हालत आज़ बहुत खराब हो गई है, कोई उस को देखनेवाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि जैसे कलकत्ता में डेफ-एण्ड-डम्ब स्कूल बना हुआ है, उसी तरह से इस स्कूल की भी देखभाल की जाय और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय ताकि वह स्कूल भी आगे बढ़ सके।

पांचवे—बिहार के दो करोड़ से भी ज्यादा आदमी मैथिली भाषा चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैथिली को संविधान के आठवें शेडयूल में स्थान दिया जाय। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के मैथिली को संविधान की आठवीं सूची में स्थान दिलायेंगे।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेन्ट रूल के सम्बन्ध

में मुझे मौका नहीं मिला था, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब मुझे कुछ समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ सवाल कीजिए।

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, प्रशासन के अन्दर जो बैठे हुए हैं, श्री एस० के० लाल, जो पोलिटिकल और पुलिस विभाग में अन्डर सेक्रेटरी हैं उनके सम्बन्ध में 23 तारीख को शुक्ला जी ने यहां पर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 57 में जब वे डी० सी० एल आर० थे तब उन्होंने पातेपुर, जिला मुजफ्फरपुर में बिना पैसे के तमाम जमीन का बन्दोबस्त कर दिया और उनके ऊपर कार्यवाही हुई लेकिन तबसे फाइल रखी हुई है। जब संविद की सरकार बनी तो उस अवसर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उनको सस्पेन्ड करने का आदेश दिया और मुख्य मंत्री ने भी उसको एन्डोर्स कर दिया। उसके बाद शोषित दल की सरकार बनी उसने मांग की कि इसकी सफाई मांगी जाए। उस दौरान में वह जवाब देते हैं। उनकी सफाई आ गई है और वह एग्जामिन हो रही है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शोषित दल की सरकार के बाद जब कि भोला शास्त्री का मंत्रिमंडल बना तो उनकी सरकार की तरफ से असेम्बली में जवाब दिया गया कि एक्सप्लेनेशन आ चुका है और एग्जामिन हो रहा है, उसके बाद जून, जुलाई खत्म हो गया और अब अगस्त भी खत्म हो रहा है, तीन महीने बीत गए, अभी तक एग्जामिनेशन ही हो रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या एग्जामिनेशन हो रहा है। उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, लाखों रुपए की जमीन किसी न किसी के नाम कर दी है और कमिश्नर, कलक्टर, रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सोनी साहब ने फाइल पर रिकमेन्ड किया है कि इनको सस्पेन्ड होना चाहिए। अब वहां पर प्रेसिडेन्ट रूल लागू है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्यों नहीं सस्पेन्ड किया जाता है और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? मैं तो यह समझता हूं कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है कि बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में जूट निर्यात किया जाता है। सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि किसानों के लिए जूट का दाम कम से कम 40 रुपया मुकर्रर किया गया है। मैं जूट के एरिया से ही आता हूं और मैं बतलाना चाहता हूं कि किसान को जूट का दाम 25 और 30 रुपये के बीच में मिल रहा है। इसी के कारण पिछले साल वहां पर कम जूट बोई गई। जूट की उचित कीमत न मिलने के कारण ही किसानों ने जूट की कम खेती की है। . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह थर्ड रीडिंग है।

श्री लखन लाल कपूर : एक बात मैं शुगर इन्डस्ट्री के बारे में और कहना चाहता हूं। आज बिहार का चीनी उद्योग बहुत खतरे में है। चीनी का रेट कम होने के कारण वहां के चीनी उद्योग को खतरा पैदा हो गया है। तीन तीन मिलें वहां से बाहर जा रही हैं। मोहिनी शुगर मिल, दालमिया-नगर शुगर फैक्टरी बाहर जा रही हैं और गुरारू फैक्टरी बन्द पड़ी है। इस सम्बन्ध में सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। न तो मिल वाले ही खोलना चाहते हैं और न सरकार ही लेना चाहती है। इसका नतीजा यह है कि वहां पर आज जो लाखों एकड़ गन्ना लगा हुआ है वह बर्बाद होने जा रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाना चाहिए।

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : In Santal Parganas, there has been a heavy incidence of leprosy. A certain amount of money has been allotted for that purpose. Will the Government consider the desirability of giving some more amount, because the persons who are suffering are mainly aboriginals ? 3 development blocks have had droughts for the last three years consecutively. Will something be done to render relief to those three areas ?

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, a charge was very lightly made by my hon. friends here that the missionaries are indulging in converting adivasis with bribes and with other inducements. This charge was made before and the Minister had occasion to say that the State Government had made inquiries even at that time of famine and they found that there were no such instances. I would like the Minister to clarify that there is no such movement to win over adivasis by unfair or illegal means. He should categorically deny that. It is not fair to make this aspersion and to say that one religion is indulging in the plunder of another. It is not fair (*Interruptions*).

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले यह खबर लगी कि मुजफ्फरपुर गोली-कांड की जो जांच हुई उसमें न्यायाधीश ने गोली-कांड को अनजस्टीफाइड डिक्लेयर किया। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उस गोली-कांड में, उन पर सरकार कोई ऐक्शन लेने जा रही है।

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में, खासकर दरभंगा और सहरसा जिले का ऐसा कुछ हिस्सा है कि कोसी योजना के निर्माण से दोनों तटबन्धों के बीच, लगभग चार सौ गांव पड़ गए। इस सम्बन्ध में वहां की सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन किसानों की जमीन गई है उनको जमीन के बदले जमीन मिलेगी। मकान की जगह मकान, मंदिर की जगह मंदिर मस्जिद की जगह मस्जिद मिलेगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन दोनों तटबन्धों के बीच लगभग दो लाख की आबादी है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारा घर भी उसी में पड़ता है। पुनर्वास की बात तो दूर रही, उन किसानों को जमीन तोड़ने के लिए जो कर्ज दिया गया था, उस कर्ज की वसूली के लिए सरकार डंडा लेकर खड़ी हुई है और वह भी सूद के साथ। शरणार्थियों की भी वैसी हालत नहीं हो सकती है जैसी कि उन किसानों की हालत है जोकि उन दोनों तटबन्धों के बीच के हैं। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कोसी तटबन्धों के बीच के नागरिकों की आर्थिक दयनीय स्थिति के लिए कोई जांच कमीशन बिठायेंगे ? मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि कम से कम, किसानों ने जो कर्ज लिया था उसकी वसूली अगर वे करना ही चाहते हैं तो सूद छोड़ ही देना चाहिए और उन दोनों तटबन्धों के बीच के जो लोग हैं उनको कर्ज से माफी मिलनी चाहिए।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि अफसरशाही का कैसा नंगा नाच हो रहा है। मैं अपने जिले के सम्बन्ध में ही कहूं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है कि मेरे यहां जो जिलाधीश भेजे गए थे वे उत्तम कोटि के थे लेकिन उनका तुरन्त ट्रान्सफर कर दिया गया, एक साल के ही अन्दर। ला ऐन्ड आर्डर का यह हाल है कि रोज चोरी डकैती और जान माल की लूट हो रही है। जिस घटना का जिक्र श्री झा ने किया वह मेरे क्षेत्र की ही घटना थी। 20 तारीख को एक बी० ए० पास नौजवान को 6 बजे शाम कुल्हाड़ी से काट दिया गया। दूसरे रोज बगल में ही दो आद-

मियों की हत्या कर दी गई। बख्तियारपुर थाने में एक साथ चार-चार खून हुए लेकिन वहां का एस० पी० नहीं बदला गया। मैं आनना चाहूंगा कि पिछली संविद की सरकार ने कितने ट्रान्सफर किए थे।

हमारे यहां के सहरसा जिले के सुपोल अंचल का बी० डी० ओ० 4 आने पैसे तक की घूस लेता है और उसे मार भी लगी है। इस सिलसिले में मैं ने चीफ़ सेक्रेटरी मि० सोहनी को भी लिखा लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अफसरों से साठगांठ किये रहता है। मैं आप के माध्यम गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बी० डी० ओ० की वह सी० आई० डी० से जांच करवायें। वह एक बहुत ही गलत और भ्रष्ट आदमी है और वह राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को ग़लत ढंग से फंसा करके भ्रष्टाचार आदि करता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान दें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गया जिले में एक पुनपुन नदी है जिसमें कि पूरे सालों बराबर पानी चला करता है, स्रोत बहता रहता है। आज विगत 20 वर्षों से उस में सुलिस गेट लगा कर, बांध लगा कर नहर निकालने की स्कीम है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं की गई है। इस स्कीम के पूरा होने से लाखों एकड़ जमीन आबाद हो सकेगी। इस से गया जिला ही नहीं अपितु पटना जिले के तीन चार थाने के अर्थात् पालीगंज, मसौढ़ी और पुनपुन के अन्तर्गत आने वाले इलाक़े उस से आबाद हो जायेंगे। साथ ही जहानाबाद का सबडिवीजन भी उस से आबाद होता है। टिकारी, कुर्था, गोह, कुरपी, जहानाबाद, अंचल आदि आबाद हो जायेंगे। क्या उस स्कीम को पूरा करने पर मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिया जायगा?

दूसरी चीज यह है कि गया जिले में बिजली के अभाव के कारण अकाल होने के कारण कोई ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था उस इलाक़े में नहीं है। सिंचाई मंत्री गत वर्ष उस इलाके में बिजली के अभाव और अकाल से जो पीड़ित है उन को और ख़ास तौर से गया जिले को देखने गये थे और उन्होंने तब यह वायदा किया था कि उन इलाक़ों में बिजली के द्वारा सिंचाई का वह अधिक से अधिक प्रबन्ध करेंगे लेकिन उस दिशा में कुछ विशेष नहीं हुआ है और मैं उन से जानना चाहूंगा कि उस इलाके के किसानों को अधिक से अधिक अन्न उपजाने के लिए और अकाल से बचाने के लिए वह क्या व्यवस्था वहां के लिए कर रहे हैं?

गया से टिकारी होते हुए कुरथा, किंजर, पालीगंज होकर पटना जिले को जो पक्की रोड मिलाती है उस में करीब 5–7 मील सड़क अभी कच्ची रहती है और उसे पक्की करने का काम कई वर्षों से पड़ा हुआ है। संविद सरकार के समय में इस पर कुछ काम शुरू भी किया गया था लेकिन जब वह संविद सरकार ख़त्म हुई तो वह काम भी उस के साथ ही ख़त्म हो गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय गवर्नर के द्वारा उस काम को चालू करवायेंगे?

पटना में अभी फिलहाल आयुर्वेदिक कालिज में जो हड़ताल है उस सिलसिले में 91 छात्र अभी जेल के अन्दर बंद हैं। वह छात्र बी० ए० और एम० ए० पास हैं और डिग्रीधारी हैं लेकिन जेल में उन को उपयुक्त क्लास नहीं दिया गया है। उन के साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन के खाने, पीने और रहने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय उधर ध्यान देंगे और

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

साथ ही क्या सरकार उन की उचित मांगों को पूरी करके उन्हें छोड़ने जा रही है?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जनतंत्र और संविधान से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस पर गृह मंत्री भी ध्यान दें और केरल के वह जो इवर जैनिंग्स साहब यहां बैठे हुए हैं वह भी जरा इस पर ध्यान दें.....

MR. SPEAKER : Why don't you confine yourself to the Bill ? Why do you bring in extraneous things ? He is Shri Govinda Menon ; not Sir Ivor Jennings.

श्री मधु लिमये : मैं क्या करूं उन को यह इवर जैनिंग्स ग्रौफ केरल की पदवी मिली हुई है इसलिए मैंने उन को इस तरह से सम्बोधित किया है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की आबादी साढ़े 8 करोड़ है और जो कार्यक्रम है उस के अनुसार ऐसा लगता है कि एक साल तक उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहेगा। बिहार की आबादी सवा 6 करोड़ से अधिक है और ऐसा लगता है कि वहां 9 महीने राष्ट्रपति शासन रहेगा। पश्चिमी बंगाल की आबादी भी साढ़े 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में है और वहां भी एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहने वाला है। क्या कभी मंत्री महोदय ने इस बात पर सोचा है कि वैसे ही वहां पार्लियामैंट और विधान मंडल होते हुए भी नौकरशाही का साम्राज्य ज्यों का त्यों बना हुआ रहता है। तो जब कि विधान मंडल भी समाप्त है क्या वह जरा बुनियादी तौर पर सोचेंगे ? ऐसी हालत में लोक प्रतिनिधियों का नियन्त्रण राज्य सरकार पर रहे इस के लिए क्या करना चाहिए ? मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं कि जब विहार के प्रतिनिधि यहां पर राज्य सभा में और लोक सभा में हैं और उसी तरीके से पश्चिमी बंगाल के और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं तो क्या उनकी एक छोटी सी पार्लियामैंट यह बनायेंगे और जो अधिकार समूची पार्लियामैंट को या विधानमंडल को होते हैं वह अधिकार उस मिनी पार्लियामैंट को दे देंगे जिसके कि सामने ये शासन और क़ानून के सारे मामले आयें ? क्या केन्द्रीय सरकार सही तौर पर इस पर सोचेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, बहुत से स्थानीय मामलों के बारे में माननीय सदस्यों ने विवरण दिया है और कुछ प्रश्न उठाये हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है कि सब स्थानीय मामलों के बारे में मैं कुछ कह सकूं पर जहां पर जांच की आवश्यकता समझी जायगी वहां पर तुरन्त जांच करवाई जायगी और उन पर ध्यान देकर सोचा जायगा कि उन के सम्बन्ध में क्या करना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने कुछ और सवाल उठाये हैं। उन का उत्तर बिलकुल संक्षेप में मैं देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य और हमारा प्रयत्न तो यह है कि पहले तो राष्ट्रपति शासन कहीं लागू ही न हो और यदि लागू भी हो तो वह कम से कम समय के लिए लागू हो। हमारा ऐसा प्रयत्न है और उस में यदि आप का हमें सहयोग मिलेगा तो हम अपनी इस इच्छा को पूरा भी कर सकेंगे कि राष्ट्रपति शासन एक तो कहीं लागू न हो और लागू भी हो तो जल्द से जल्द चुनाव करके वहां पर हम जिम्मेदार सरकार की स्थापना कर दें। लेकिन जैसा कि श्री मधु लिमये सुझाव दे रहे हैं अगर वैसा कुछ सुझाव मान लिया जाय तो एक साल के बदले दो, तीन साल तक राष्ट्रपति शासन

चलेगा। इस तरह की जो प्रतिनिधि सभाएं बनाई जायेंगी वह उस का काम देखेंगी। मैं नहीं समझता हूं कि हमारा इस संसद् का यह उद्देश्य हो सकता है कि इस तरह का कोई कार्य किया जाय। यह बात अवश्य है कि जब भी राष्ट्रपति का शासन 6 महीने से ज्यादा चलता है तो इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि किसी तरह का कोई एक प्रजातांत्रिक ढांचा वहां की सरकार चलाने के लिए होना चाहिए और इस में दो राय नहीं हैं पर उस के लिए जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं दवा तजवीज कर रहे हैं उस दवा से तो बीमारी और बदतर हो जायगी। इसलिए असली दवा यह है कि ऐसी चीज होने ही नहीं देनी चाहिए और इस में यदि आप का व अन्य दलों का समर्थन हमें मिले तो मैं समझता हूं कि इस को हम रोक सकेंगे वरना नहीं रोक सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ कहना नहीं है बाकी जो सवाल माननीय सदस्यों ने यहां पर आज उठाये हैं उन पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Lok Sabha divided :

AYES

Division No. 21] [18.36 Hrs

Agadi, Sh i S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed, Shri F. A.
Azad, Shri Ahagwat Jha
Bajaj, Shri Kamalnayan
Barua, Shri Bedabrata
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Das, Shri N. T.
Dassappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gajraj Singh Rao, Shri
Gavit, Shri Tukaram
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hem Raj, Shri
Himatsingka Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Kedaria Shri C. M.
Kesri, Shri Sidaram
Kureel, Shri B. N.
Lalit Sen, Shri
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeva Prasad, DR.
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini

Master, Shri Bhola Nath
Menon, Shri Govinda
Minimata, Shrimati Agam Dass Guru
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mrityunjay Prasad, Shri
Naidu, Shri Chengalraya
Pahadia Shri Jagannath
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Patel Shri Manubhai
Patel, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Pramanik, Shri J. N.
Radhabai, Shrimati B.
Raju, Shri D. B.
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Das, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Reddi, Shri G. S.
Roy, Shri Bishwanath
Sadhu Ram, Shri
Sambasivam, Shri
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, DR.
Sapre, Shrimati Tara
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Shankaranand, Shri B.
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Sheopujan
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri
Siddeshwar Prasad, Shri
Sonavane, Shri
Sudarsanam. Shri M.
Suryanarayana, Shri K.
Tamaskar, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Verma, Shri Balgovind
Vyas, Shri Ramesh Chandra

NOES

Abraham, Shri K. M.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Desai, Shri Dinkar
Goyal, Shri Shri Chand
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri Jagannath Rao
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kameshwar Singh, Shri
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghyoo Ali
Kisku, Shri A. K.
Madhukar, Shri K. M.
Misra, Shri S inibas
Mohamed Imam, Shri J.

Puri, Dr. Surya Prakash
Ranga, Shri
Ray, Shri Rabi
Samanta, Shri S.C.
Sharma, Shri Narain Swarup
Sharma, Shri Yajna Datt
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavtar
Somani, Shri N. K.
Tyagi, Shri O.P.
Viswambharan, Shri P.

MR. SPEAKER : The result* of the division is : Ayes 91; Noes 26.

The motion was adopted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, सेक्रेट्री से कह कर यह तो हम को सूचना दिलवा दें कि एक डिवीजन में कितना खर्च होता है। इस की जानकारी हम लोगों को हो जानी चाहिये।

MR. SPEAKER : You put a question.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। यह सदस्यों का अधिकार है। इस का क्या मतलब है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा भी अधिकार है यह सूचना जानने का।

MR. SPEAKER : Order, order. We now take up the Half-an-Hour discussion. Shri Raghuvir Singh Shastri.

18.33 Hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FATHER FERRER'S ACTIVITIES

MR. SPEAKER : We now take up the Half-an-Hour discussion.

Shri Raghuvir Singh Shastri.

SHRI MANUBHAI PATEL : (Dabhoi) : Sir, I may also be allowed to put a question.

MR. SPEAKER : Only 5 names are taken out of the lot. A number of Members have given notice. We pick out only 5 names. That is all.

SHRI MANUBHAI PATEL : Just 2 or 3 minutes.

MR. SPEAKER : It will not be proper. You are unlucky; you did not come in the lot. I cannot make you lucky by my discretion.

18.33½ Hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, एशिया और अफ्रीका के सारे देशों में जहां विदेशी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां रही हैं, उन का एक ही अनुभव है, और वह यह कि पश्चिमी योरप का जो साम्राज्यवाद इन देशों में आया, यह विदेशी ईसाई मिशनरी उस साम्राज्यवादी शक्ति के अग्रगामी दल की भूमिका हमेशा यहां निभाते रहे। उन्हीं सारी गतिविधियों की एक श्रृंखला यह फादर फेरर या पादरी फेरर का काण्ड है।

फादर फेरर के सम्बन्ध में गत 9 अगस्त को इस सदन में जब चर्चा हुई तब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल ने बतलाया कि महाराष्ट्र सरकार को इन पादरी फेरर

*Sarvashri Gunand Thakur and K. P. Singh Dev also recorded their votes for 'NOES'